

परामर्शिका

अल्जीरिया को बासमती एवं गैर-बासमती चावल निर्यात करने वाले सभी निर्यातकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निर्यात-पूर्व एपीडा के मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं से सीसे के परीक्षण का संचालन करें। सीसे की अधिकतम सीमा कोडेक्स मानकों के सममूल्य पर अर्थात् 0.2 मिग्रा/किग्रा होनी चाहिए।

निर्यात केवल तभी किया जाएगा जब खेप (कंसाइन्मेंट) निर्धारित सीमा को पूरा करेगी।

यदि कोई निर्यातक उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस परिस्थिति में उचित समझे जाने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. तरुण बजाज
निदेशक (बीईडीएफ)